

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु विन्दुवार विवरण।

(i)	The particulars of its organisation, function and duties;	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;	विश्वविद्यालय से सर्वाधित विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य उप्रांत अवलोकन इस लिंक से उल्लिखित हैं जिसका उप्रांत राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित, जो सकता है।
(ii)	The powers and duties of its officers and employees;	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;	विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य उप्रांत राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित, धारा: 14-18 में उल्लिखित हैं जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है।
(iii)	The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;	विनियोग करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित के माध्यम सम्मिलित हैं;	विश्वविद्यालय में विनियोग करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित के माध्यम सम्मिलित हैं का उल्लेख उपरांत राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथासंशोधित, धारा: 19, 21-23, 25-30, 45, 47, 49, 51 व 53 में है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है।
(iv)	The norms set by it for the discharge of its function;	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;	https://drive.google.com/file/d/1dzZ_kWzH0gpNPVWNgDmL_SVOnXHNDuFr/view university act 1973 & its amendment अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड का उल्लेख वीर बहादुर सिंह पर्याचक विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली-2010, हितिय संस्करण में उल्लिखित है जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है।
(v)	The rules, regulation, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its function;	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;	उपरांत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 यथासंशोधित तथा वीर बहादुर सिंह पर्याचक विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली-2010, हितिय संस्करण में उल्लिखित अभिलेख, नियम, विनियम, अनुदेश, शासनादेश, अध्यादेश, निर्देशिका, विवरणिका इत्यादि। लिंक निम्नवत् है।

https://drive.google.com/file/d/1IgymWTASAYTnvae4MtclL2VUXBN7pOAI/view
https://drive.google.com/file/d/1dzZ_kWzH0gpNPVWNgDmL_SVOnXHNDuFr/view
https://drive.google.com/file/d/1IgymWTASAYTnvae4MtclL2VUXBN7pOAI/view

10.01.2024

10.01.2024

10.01.2024

<p>(vi) A statement of the categories of documents that are held by it or under its control;</p>	<p>The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof,</p>	<p>ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;</p>	<p>किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं,</p>	<p>विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता युनिश्ययन प्रकोष्ठ (IQAC) एवं विश्वविद्यालय की समा (Court) में जनता के सदस्यों से परामर्श की व्यवस्था विद्यमान है जिसका लिंक निम्नवत् है:-</p> <p>https://www.vbspu.ac.in/en/page/iqac-committee (IQAC)</p> <p>उत्त के साथ साथ अभ्यावेदन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, आईजीआरएस० एवं लोक विकाय की व्यवस्था विद्यमान है।</p> <p>उपरोक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 यथासंशोधित की धारा-25 (विद्या परिषद), धारा-26 (वित्त समिति), धारा-27 (संकाय), धारा-28 (प्रतेश समिति), धारा-29 (परिष्का समिति) की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं होगी किन्तु बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी जिसका अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है:-</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1IgymWTASAYTnvae4MtcJL2VUXBN7pOAI/view</p> <p>https://www.vbspu.ac.in/en/page/minutes-of-meetings</p>
<p>(vii)</p>	<p>A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;</p>	<p>ऐसे बोर्ड, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उनके भागीरप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि व्या उन बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या और अन्य निकायों की बैठकें ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी विवरण;</p>	<p>अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका;</p>	<p>अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशि का का अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है:-</p> <p>https://www.vbspu.ac.in/en/page/telephone-directory</p> <p>वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2 से 4 एवं उप्रा शासन द्वारा निर्णय विभिन्न शासनादेशों व मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर की व्यवस्था।</p>
<p>(viii)</p>	<p>A directory of its officers and employees;</p>	<p>अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नामों का संकेतन विवरण;</p>	<p>अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशि का का अवलोकन निम्नलिखित लिंक से किया जा सकता है:-</p> <p>https://www.vbspu.ac.in/en/page/telephone-directory</p>	
<p>(ix)</p>	<p>The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;</p>	<p>अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिशासिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथात्पवधित हो;</p>	<p>वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2 से 4 एवं उप्रा शासन द्वारा निर्णय विभिन्न शासनादेशों व मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर की व्यवस्था।</p>	
<p>(x)</p>	<p>The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans,</p>	<p>आय व्यय का विवरण, बैलेंस सीट बैतन पंजिका, पेशन पंजिका, जीपीओएफ० पंजिका, अग्रीम पंजिका, सी०डीआर० पंजिका, चेक पंजिका, आडिट पंजिका एवं चेक/झाफ्ट पंजिका। विश्वविद्यालय के बजट का अवलोकन निम्नलिखित</p>		
<p>(xi)</p>	<p>The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans,</p>	<p>आय व्यय का विवरण, बैलेंस सीट बैतन पंजिका, पेशन पंजिका, जीपीओएफ० पंजिका, अग्रीम पंजिका, सी०डीआर० पंजिका, चेक पंजिका, आडिट पंजिका एवं चेक/झाफ्ट पंजिका। विश्वविद्यालय के बजट का अवलोकन निम्नलिखित</p>		

१०.०१.२०२४

१०.०१.२०२४

१०.०१.२०२४

	proposed expenditures and reports on disbursements made;	करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण; लिंक से किया जा सकता है:-
(xii)	The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	सहायिकी कार्यकर्मों के निष्पादन की सीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकर्मों के फायदाग्रहियों के बारे समिलित हैं;
(xiii)	Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it;	अपने हासा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापनों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्ट्यां किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में द्यारे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके हासा धारित हो;
(xiv)	Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का विवरण AISHE के लिंक https://www.vbspu.ac.in/en/page/affiliation-aishe पर उपलब्ध है।
(xv)	The particular of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हो, कार्यकरण चंडे समिलित हैं; नागरिकों हासा प्रार्थना पत्रों, सूचना का अधिकार अधिनियम, ई-मेल एवं आईडीओआरएस० व्यवस्था से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी विश्वविद्यालय के शोधाधिर्थों, छात्रों, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों सम्बद्ध महाविद्यालयों से आने वाले शोधाधिर्थों/छात्रों व शिक्षकों के अध्ययन के लिए प्रातः 09:00 बजे से रात 06:00 बजे तक खुली रहती है।
(xvi)	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां, श्री अमृत लाल, उप कुलसचिव/जन सूचना अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार, कुलसचिव/प्रथम अधीलीय अधिकारी
(xvii)	Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publication every year;	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाय, प्रकाशित करेगा और उसका तत्पर्यत इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

10/01/2024
 (प्रो मुराद अली)
 सदस्य,

एम०वी०ए० विभाग, परिसर
 (प्रो प्रदीप कुमार)
 अध्यक्ष/संचारक
 वायोटेकनालाजी विभाग, परिसर